

IMMEDIATE



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.4(54)पट्टाअभि/विधि/पंरा/2017/308

जयपुर, दिनांक: 17-4-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त ।

विषय :- पट्टा आवंटन अभियान (14 अप्रैल, 2017 से
12 जुलाई, 2017)बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभियान की अवधि में राज्य की ग्राम पंचायतों में जिस दिन शिविर आयोजित किया जायेगा, पट्टा/भू-खण्ड आवंटन से सम्बन्धित कार्य महज इस एक दिन के लिए ही सीमित नहीं रखना है, अपितु इस शिविर आयोजन दिवस से पूर्व एवं पश्चात दिवसों में भी दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 (90 दिवस) की पूर्ण अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टा/भू-खण्ड आवंटन से सम्बन्धित आवेदन प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये जाकर, उनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

आपसे यह भी अपेक्षा है कि इस अभियान अवधि में "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" की पात्रता/वरीयता सूची में शामिल समस्त परिवारों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि/पट्टे आवश्यक रूप से आवंटित किये जायें ।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पंचायती राज ।

उप शासन सचिव(विधि)